

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

(पीठसीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- अर्पिता खोनी (R.A.S)

उनवान

शरण S/o सन्ना सीता करीमपुरा बनाम रामपाल S/o कल्याण सीता करीमपुरा

दावा बाबत उद्बोधना डुकली इले कस - 7

मुकदमा नम्बर :- 46/18 मुकदमे का प्रकार :- उद्बोधना डुकली

निर्णय दिनांक :- 6/6/18

वादी की ओर से दाव.प. की व प्रतिवादी की ओर से रामपाल वरुण

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6.6.18 को (नाम पीठसीन अधिकारी) अर्पिता खोनी (R.A.S)

के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

मुताबिक राजीनामा एवं रा.लो. अदालत की भावना से दावा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ख.नं. 56 रकबा 0.4 बिघा गं. कु. चाह है व ख.नं. 57/4 रकबा 0.2 बीस्वू गं. कु. चाह है वैसे रा. करीमपुरा में वादी को 37 हिले का खालदार कास्तगार घोषित किया जाय है तथा 37 हिले प्रतिवादी में 19 र तथा 37 हिले प्रति. नं. उठा 5 का रहेगा  
खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 6.6.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(साक्षर)

पीठसीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी पीपलू

एवं जिला टोंक (राज.)

पीपलू

### वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़

अध्यक्ष

पीठसीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

पीपलू

पीपलू जिला टोंक (राज.)

तहसीलवार पीपलू डकतानुसार राजस्व रिकॉर्ड में ड  
 ह्वामद करें। बँक रहन पूर्व की भांति अपने हिसा  
 पर रहेगा।

अध्यक्ष  
 वीठ'सोन सचिवायी  
 एवं उपखण्ड सचिवायी  
 पीपलू

*[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

पंचायत समिति  
 मुख्यालय  
 (पंचायत समिति का नाम)

क्र.सं.	विवरण	राजस्व	कुल
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

मुख्यालय  
 (पंचायत समिति का नाम)  
 तहसील

**राजीनामा प्रपत्र**

कैम्प कोर्ट का स्थान : अटल सेवा केन्द्र.....

सेवामें,

श्रीमान् पीठसीन अधिकारी महोदय,  
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक (राज.)

दिनांक.....

..... बनाम .....  
प्रकरण संख्या :- सुवर्ण ..... अन्तर्गत धारा.....

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री..... का निवेदन है कि

उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है:-

भारतीय स्वामता नं 56 रकबा 04 बिस्वा गैंगु-चाह, ख. नं 57/4  
रकबा 02 बिस्वा गैंगु-चाह वाडे राम करीमपुरा लह पीपलू में  
वादी का 2/7 प्रतिवादी न. 1 व 2 का 2/7 तथा प्रतिवादी नं 3 व 4  
का 3/7 हिस्से का खुलेडाड कासूतका धारित किया जाये 03  
सहमत व रजामत है। एक रकन पूर्व का भाग अपन-2 हिस्से पर  
सम्पादन रहेगा।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

- वादी पक्ष 1. सुवर्ण
- 2. सुवर्ण
- 3. सुवर्ण
- 4. सुवर्ण

- प्रतिवादी पक्ष 1. सुवर्ण
- 2. सुवर्ण
- 3. सुवर्ण
- 4. सुवर्ण

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर.....  
(वादी पक्ष) नाम.....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर.....  
(प्रतिवादी पक्ष) नाम.....

प्रार्थी/वादी..... एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी.....

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य)

(ह० सदस्य)

(ह० सदस्य)

अध्यक्ष  
पीठ-सीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
पीपलू  
पीठसीन अधिकारी